भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या .1454

सोमवार), 9 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947(को उत्तर के लिए (शक)

महाराष्ट्र में कंपनियां

1454. श्री अनिल यशवंत देसाईः

श्री संजय हरिभाऊ जाधवः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

देश में केंद्रीय पंजीकरण केंद्र के माध्यम से पंजीकृत कंपनियों की विशेषकर महाराष्ट्र के (क)

वार संख्या कितनी है-परभणी लोक सभा संसदीय क्षेत्र में राज्य;

देश में केंद्रीकृत प्रसंस्करण शुरू करने से क्या लाभ होने की संभाव (ख)ना है, साथ ही इसकी शुरुआत से अब तक राज्यवार-, विशेष रूप से परभणी में प्राप्त ऐसे लाभों का ब्यौरा क्या है;
विशेष रूप से महाराष्ट्र में केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र के माध्यम से कितने फॉर्म अग्रेषित (ग) किए जा रहे हैं;
क्या सरकार ने आकांक्षी (घ), पिछड़े, अति पिछड़े और जनजातीय जिलों के विकास के लिए कोई उचित कदम उठाए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
यदि नहीं (ङ), तो क्या सरकार के पास देश के उपरोक्त जिलों के विकास के लिए कोई अन्य उचित योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): देश में केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी) के माध्यम से 31.01.2026 तक पंजीकृत कंपनियों की राज्यवार संख्या, अनुलग्नक में दी गई है।

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार कंपनियों के पंजीकरण की जानकारी नहीं रखी जाती है।

ख): केंद्रीकृत प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित केंद्र स्थापित किए गए: -

i. केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी): वर्ष 2016 में आरम्भ हुआ, यह कंपनियों के निगमन और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के पंजीकरण पर केंद्रित है। यह नाम आरक्षण और निगमन प्ररूपों की त्वरित और अधिक कुशल स्वीकृति सुनिश्चित करता है।

ii. केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी): वर्ष 2024 में आरम्भ हुआ, यह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनियों द्वारा फाइल किए गए 12 ई-प्ररूपो के प्रसंस्करण का कार्य संभालता है। यह प्ररूपों के केंद्रीकृत प्रसंस्करण को सक्षम बनाता है, जिससे सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित होता है।

iii. त्वरित कारपोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस): वर्ष 2023 में आरम्भ हुआ, यह कंपनियों के नाम हटाने संबंधी आवेदनों के निपटान पर केंद्रित है; सी-पेस के माध्यम से एलएलपी को हटाने की प्रक्रिया सितंबर, 2024 से आरम्भ हुई।

उपरोक्त उपायों से प्रक्रियात्मक विलंब कम हुआ है, पारदर्शिता में सुधार हुआ है और अनुपालन लागत में कमी आई है, जिससे उद्यमिता और निवेश को प्रोत्साहन मिला है।

(ग): केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) द्वारा 30.01.2026 तक संसाधित प्ररूपों की कुल संख्या 1,82,889 है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य में पंजीकृत कंपनियों से संबंधित 41,090 प्ररूप शामिल हैं।

(घ) और (ङ): कंपनी अधिनियम, 2013 और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008 का प्रशासन कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित है, और मंत्रालय द्वारा उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित विभिन्न उपाय देश के सभी राज्यों/जिलों पर लागू होते हैं।

*****

प्रश्न के भाग (क) से संदर्भित अनुलग्नक

देश में केंद्रीय पंजीकरण केंद्र के द्वारा पंजीकृत कंपनियों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र-वार संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	सीआरसी के स्थापना के पश्चात् से जनवरी, 2026 तक केंद्रीय पंजीकरण केंद्र के द्वारा पंजीकृत कंपनियों की कुल संख्या
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	544
2.	आंध्र प्रदेश	33,105
3.	अरुणाचल प्रदेश	818
4.	असम	12,154
5.	बिहार	50,459
6.	चंडीगढ़	5,504
7.	छत्तीसगढ	11,793
8.	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	528
9.	दिल्ली	1,60,071
10.	गोवा	4,811
11.	गुजरात	79,471
12.	हरियाणा	73,714
13.	हिमाचल प्रदेश	6,018
14.	जम्मू और कश्मीर	8,896
15.	झारखंड	17,880
16.	कर्नाटक	1,20,921
17.	केरल	54,624
18.	लद्दाख	74
19.	लक्षद्वीप	43
20.	मध्य प्रदेश	40,411
21.	महाराष्ट्र	2,68,955
22.	मणिपुर	1,978
23.	मेघालय	564
24.	मिजोरम	413
25.	नगालैंड	636
26.	ओडिशा	26,810
27.	पुदुचेरी	1,536
28.	पंजाब	21,296
29.	राजस्थान	55,429
30.	तमिलनाडु	1,00,722
31.	तेलंगाना	99,981
32.	त्रिपुरा	1,224
33.	उत्तर प्रदेश	1,57,040
34.	उत्तराखंड	13,457
35.	पश्चिम बंगाल	70,196

(स्रोत: डाटा एमसीए-21 पोर्टल से प्राप्त किया गया है)